भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 33

उत्तर देने की तारीखः 29.11.2021

समग्र शिक्षा योजना

†33. **श्री संगम लाल गुप्ता:**
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री राजबहादुर सिंह:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्रीमती संध्या राय:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समग्र शिक्षा योजना 2.0 के लक्ष्यों, उद्देश्यों, लक्ष्यों और हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार समग्र शिक्षा योजना 2.0 के तहत छात्रों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या शिक्षा के वर्तमान डिजिटलीकरण के कारण डिजिटल बोर्डों और वर्चुअल कक्षाओं की सुविधा के लिए योजना के तहत प्रावधान हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): पुन: डिज़ाइन की गई समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाना; वंचित समूहों और कमजोर वर्गों को शामिल करने के माध्यम से समानता को बढ़ावा देना, और पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना; (ii) निःशुल्क

और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना; (iii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना; (iv) बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर जोर; (v) छात्रों के बीच 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र पर जोर; (vi) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना; (vii) स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटना; (viii) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना; (ix) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थान और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन; (x) स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में सुरक्षा, संरक्षा और अनुकूल अधिगम वातावरण एवं मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना और (xi) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

इस योजना के तहत प्रस्तावित स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख कार्यकलाप हैं: (i) अवसंरचना विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच; (ii) बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, (iii) लैंगिक और समानता; (iv) समावेशी शिक्षा; (v) गुणवत्ता और नवाचार; (vi) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता; (vii) डिजिटल पहलें; (viii) वर्दी, पाठ्यपुस्तक आदि सहित आरटीई पात्रता; (ix) ईसीसीई के लिए सहायता; (x) व्यावसायिक शिक्षा; (xi) खेल और शारीरिक शिक्षा; (xii) शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण; (xiii) निगरानी; (xiv) कार्यक्रम प्रबंधन; और (xv) राष्ट्रीय घटक।

पुन: डिज़ाइन की गई समग्र शिक्षा ने डीबीटी मोड के माध्यम से छात्रों को सीधे बाल केंद्रित कार्यकलाप उपलब्ध कराते हुए योजना की सीधी पहुंच बढ़ाने की सिफारिश की है।

समग्र शिक्षा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए आईसीटी प्रयोगशालाओं, डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता सहित स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों के पास कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रति स्कूल 6.40 लाख रुपए गैर-आवर्ती अनुदान और प्रति स्कूल प्रति वर्ष 2.40 लाख रुपए आवर्ती अनुदान अथवा स्मार्ट क्लास रूम (प्रति स्कूल अधिकतम 2 स्मार्ट क्लासरूम) के लिए 2.40 लाख रुपए गैर-आवर्ती अनुदान और 0.38 लाख रुपए आवर्ती अनुदान प्राप्त करने का विकल्प है। आवर्ती लागत में प्रशिक्षक के लिए सहायता, ई सामग्री और डिजिटल संसाधन, विद्युत और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए शुल्क आदि शामिल हैं।

*****